(5)

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०2–18/2017 305 पटना, दिनांक: 10/12/19

कार्यालय आदेश

श्री सुमंत कुमार चौधरी, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास (सासाराम) के विरूद्ध जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–11/मु० दिनांक–10.06.2017 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आलोक में आरोप पत्र गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–381 सहपठित ज्ञापांक–2573 दिनांक–22.11.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। निदेशालय के का०आ०सं०–380 सहपठित ज्ञापांक–2572 दिनांक–22.11.2017 द्वारा श्री सुमंत कुमार चौधरी को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(2) (क) के तहत हिरासत में रहने की अवधि दिनांक–19.06.2016 से 25.06.2016 तक के लिए निलंबित किया गया । उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, रोहतास को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री सुमंत कुमार चौधरी के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये :–

i. आपके द्वारा बिना पूर्व अनुमति के 18.06.2016 को अपना मुख्यालय छोड़ा गया है। अनुमति के लिए आवेदन दिनांक–21.06.2016 को दूसरे से भेजवाया गया है । 19.06.2016 को आपके द्वारा अपने घर मानपुर (गया) में शराब का सेवन कर आम लोगों के साथ मार–पीट गाली–गलौज किया गया है। इस आरोप में आपके विरुद्ध मुफ्फसिल थाना गया में प्राथमिकी संख्या 267/2016 दिनांक 19.06.2016 दर्ज की गई है। मुफ्फसिल पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार कर शराब सेवन के जाँच एवं इलाज हेतु पुलिस संरक्षण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर में रखा गया है। उसके बाद ए०एन० मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जाँचोपरांत शराब का सेवन प्रमाणित हुआ है। अल्कोहल पॉजिटिव निकला है।

आप 19.06.2016 से 25.06.2016 तक न्यायिक हिरासत में रहे हैं। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गया के न्यायालय से दिनांक 25.06.2016 को जमानत पर छोड़े गए हैं।

ii. आपके द्वारा उपर्युक्त तथ्य की जानकारी अपने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सासाराम को नहीं दी गई हैं। बल्कि श्री अमन कुमार, पिता– राम लगन प्रसाद, साकिन ग्राम–नौरंगा, थाना मुफ्फसिल, जिला–गया द्वारा दिया गया है।

0113 स्था० 1(का०आ०) (04 दिसम्बर 2019).

iii. इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होने के बाद जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सासाराम द्वारा पत्रांक–342 दिनाक–30.08.2016 द्वारा आप से स्पष्टीकरण पूछा गया है । इस संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सासाराम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आपका जवाब बिलकुल भ्रामक एवं एक पंक्ति को छोड़कर शेष अस्वीकार्य हैं। आपका जवाब, मुफ्फसिल थाना गया में दर्ज प्राथमिकी 267/16 तथा अल्कोहल की पॉजिटिव रिपोर्ट इत्यादि के तथ्य से भिन्न हैं। प्रथम दृष्टया आपको दोषी पाया गया है।

iv. वर्णित घटना क्रम के संबंध में 20.06.2016 के दैनिक समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई है।

v. आपके द्वारा बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ना, कार्यालय में अनुपस्थित रहना, अपने वरीय पदाधिकारी को परेशान करना, आज्ञा का उल्लंघन करना, कार्य में लापरवाही बरतना इत्यादि आप की आदत रही है। बार–बार चेतावनी के बाद भी आपके आदत मे सुधार नहीं हुआ है। उपयुक्त घटना इसका जवलंत उदाहरण है।

2. अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, रोहतास(सासाराम) के पत्रांक–228/रा० दिनांक–13.02.2019 द्वारा श्री सुमंत कुमार चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न मंतव्य दिया है :–

i. आरोप संख्या–1 जो बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने के संबंध में है, में पाया गया कि आरोपी कर्मी द्वारा मुख्यालय छोड़ने संबंधी आवेदन पत्र दिनांक18.06.2016 जो तत्कालीन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास के द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है। इनके द्वारा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। यह स्पष्ट है कि इनके द्वारा बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ा गया है, जो प्रथम द्रष्टया इनके दोष को दर्शाता है। साथ ही साथ इनके शराब सेवन के संबंध में मुफ्फस्लि थाना (गया) में इनके विरूद्ध प्राथमिकी सं०–267/2016 दिनांक–19.06.2016, धारा –341, 323 एवं 504 दर्ज है। ब्रेथ इनलाईजर के जॉच रिपोर्ट में इनके शराब सेवन (Alcohal + Ve) की पुष्टि की गयी है। अतएव आरोप सं०–01 के उक्त दोनों आरोप सत्य प्रमाणित होते हैं।

ii. आरोप संख्या–02 के संबंध में उक्त तथ्य की जानकारी आरोपी कर्मी द्वारा अपने पदाधिकारी को नहीं दी गयी। उक्त तथ्य की जानकारी श्री अमन कुमार, पिता–राम लगन प्रसाद, ग्राम–नौरंगा, थाना–मुफस्सिल, जिला–गया द्वारा दी गयी है, जो सत्य है।

iii. आरोप संख्या–03 के संबंध में आरोपी कर्मी द्वारा इनके विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी 267/16 तथा अलकोहल की पॉजिटिव रिपोर्ट पर अपनी सफाई के क्रम में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोप संख्या–03 भी सत्य प्रमाणित होता है।

iv. प्रकाशन की खबर सत्य है।

v. अभिलेख में संलग्न संचिका टिप्पणी एवं अन्य कागजातों के अवलोकन से पाया गया कि आरोप संख्या–05 पूर्ण रूप से सत्य प्रमाणित होता है ।

3. संचालन पदाधिकारी के आरोप सत्य प्रमाणित होते हैं, के प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) में किये गये प्रावधान के तहत श्री सुमंत कुमार चौधरी से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री सुमंत कुमार चौधरी ने उल्लेख किया है कि :–

i. संचालन पदाधिकारी द्वारा उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य/साक्ष्य के विपरीत बिना किसी ठोस साक्ष्य के उनके विरूद्ध लगाये आरोप को सत्य प्रमाणित किया गया, जो कि नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध प्रतीत होता है।

ii. उनके स्पष्टीकरण के आधार पर उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–1 असत्य माना गया परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा इस साक्ष्य की अनदेखी का आरोप सत्य माना गया जो कि न्याय संगत नहीं है।

iii. उनके विरूद्ध शराब सेवन के संबंध में मुफ्फसिल थाना, गया में प्राथमिकी सं०–267/16 दिनांक–19.06.2016, धारा –341, 323, 504 भारतीय दंड विधि एवं 53(बी) बिहार उत्पाद नियम, 2016 दर्ज किया गया जिसमें वे दिनांक–19.06.2016 से 25.06.2016 तक न्यायायिक हिरासत में थे तथा न्यायालय से जमानत पर हैं। यह कांड अमन कुमार ग्रामीण के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है।

इस संदर्भ में उपरोक्त घटना की तिथि–19.06.2016 एवं समय करीब 12.30 बजे दिन का है। थाने में ब्रेथ एनालाईजर के जॉच रिपोर्ट में शराब सेवन की पुष्टि हेतु जॉच अधिकारी द्वारा विपक्ष से मिलकर स्वयं अपने हाथ से अंकित रिपोर्ट दिया गया जो इस बात का द्योतक है कि उन्हें फंसाने का कार्य किया गया है। विदित हो कि ब्रेथ एनालाईजर का रिपोर्ट प्रिंटेड होता है। जॉच पदाधिकारी द्वारा उनका मेडिकल कराने हेतु मानपुर स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया। जहॉ चिकित्सक द्वारा 2 बजकर 10 मिनट दिन में उनका जॉच किया गया तथा उस रिपोर्ट में उनके द्वारा शराब सेवन की पुष्टि नहीं हुई। चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिनांक–19.06.2016 को दिये गये जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट मंतव्य है कि सॉसों में शराब का कोई गंध नहीं पाया गया।

iv. न्यायायिक हिरासत से दिनांक–25.06.2016 को छूटने के पश्चात् आरोप संख्या–02 के संदर्भ में उन्होंने लिखित आवेदन दिनांक–01.07.2016 को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को दिया जिसमें उन्होंने अपने न्यायिक हिरासत का जिक्र किया। अतः संचालन पदाधिकारी का यह मंतव्य कि उनके द्वारा उक्त घटना की जानकारी अपने पदाधिकारी को नहीं दी गई, सरासर गलत है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके पूर्व में दिये गये स्पष्टीकरण, चिकित्सीय रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपना मंतव्य दिया गया।

v. संचालन पदाधिकारी द्वारा मेडिकल रिपोर्ट को दरकिनार कर जॉच अधिकारी के हस्तलिखित ब्रेथ एनालाईजर के रिपोर्ट के आधार को सही मानते हुए उन्हें शराब सेवन का दोषी माना गया जो किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नहीं है। उनके द्वारा शराब सेवन की पुष्टि चिकित्सीय जॉच में नहीं पायी गयी। अतः यह सिद्ध करता है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर आरोप को प्रमाणित बताया गया।

vi. दैनिक समाचार पत्र (प्रभात खबर) में ये प्रकाशित किया गया कि सुमंत कुमार चौधरी को मेडिकल चेक अप कराकर अल्कोहल की जॉच करायी गयी, इसके बाद जेल भेज दिया गया । उन्हें बदनाम करने के नियत से गलत तरीके से पेपर में प्रकाशित कराया गया है। क्योंकि उन्हें जेल नहीं भेजा गया था। उन्हें पुलिस हिरासत में ए०एन०मगध कॉलेज, गया में ईलाज हेतु रखा गया था।

vii. संचालनपदाधिकारी के मंतव्य उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं उपस्थापन पदाधिकारी के अनुसंशा पर विधि सम्मत कार्रवाई किये बिना जॉच प्रतिवेदन दिया गया। वर्त्तमान में वाद संख्या–267/2016, सिविल कोर्ट, गया में विचाराधीन है ।

श्री सुमंत कुमार चौधरी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रायः उन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया है। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। आरोप पत्र एवं श्री सुमंत कुमार चौधरी के अभ्यावेदन से स्पष्ट है कि ये शराब पीने के दोषी हैं और इनके विरूद्ध विरूद्ध मुफस्सिल (गया) थाना प्राथमिकी संख्या –267/2016 दिनांक–19.06.2016 धारा 341, 323, 504 एवं 53(b) बिहार उत्पाद नियम, 2016 दर्ज है जिसकी सुनवाई माननीय सिविल कोर्ट, गया में चल रही है। इनका आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम –4 के प्रतिकूल है। अतः इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सुमंत कुमार चौधरी, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास (सासाराम) पर संचयात्मक प्रभाव से 2 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक लगाने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अगर इस तरह के सदृष्य आरोप में आरोप सिद्ध होने पर वे सेवा से बर्खास्त भी किये जा सकते हैं।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुमंत कुमार चौधरी, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास (सासाराम) पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम – 14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयात्मक प्रभाव से 2 (दो) वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। साथ ही उन्हें चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में अगर इस तरह के सदृष्य आरोप में आरोप सिद्ध होने पर वे सेवा से बर्खास्त भी किये जा सकते हैं।

इस संबंध में माननीय न्यायालय में चल रहे केश के फलाफल पर उपर्युक्त दण्ड पर पुर्नविचार भी किया जा सकता है।

मुफ्फसिल थाना गया में दर्ज प्राथमिकी संख्या–267/2016 दिनांक–19.06.2016 में दायर न्यायालयवाद में माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के पश्चात निलंबन अवधि के विनियमन पर विचार किया जायेगा।

ह०/–

राजेश्वर प्रसाद सिंह

निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–18/2017 2289 पटना, दिनांकः 10/12/19

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. श्री सुमंत कुमार चौधरी, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 09/12